न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस
राजस्व अपील :: 10/2022
जीसीएमएस नम्बर :: 2022/86

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेण्ट :–
किशनलाल उर्फ़ किशनाराम पुत्र श्री लालारामजी, जाति लखारा, निवासी माण्डावास, तहसील रोहट जिला पाली (राज.)		भूमिधारी तहसीलदार रोहट तहसील रोहट जिला पाली (राज.)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी
सरकारी पैरोकार उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– **29.07.2024**

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध तहसीलदार पाली नामान्तरकरण संख्या 298 पर अंकित आदेश दिनांक 16.09.1976 के विरूद्ध पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी व सरकारी पैरोकार वक्त बहस उपस्थित हुये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपने अपील मीमो में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा वायद के खसरा संख्या 397 में से रकबा 05 बीघा कृषि भूमि अपीलाण्ट को आवंटित की गई थी। जैर नामान्तरकरण को खारिज करने का कारण आदेश में कांट–छांट होने बाबत् दर्शाया गया है जबकि पारित आदेश में किसी प्रकार से कोई कांट–छांट नहीं है जिससे जैर अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। अपीलाण्ट को जैर अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई व जवाब प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया जबकि क्षेत्राधिकार विहीन आदेश पारित किया जो काबिले खारिज है। अतः जैर अपीलाधीन आदेश खारिज फरमावे।

जिला कलक्टर, पाली

सरकारी पैरोकार ने अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि जैर अपीलाधीन आदेश विधि–सम्मत व नियमानुसार ही पारित किया गया है। अतः अपील–अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज फरमावे।

न्यायालय जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई तथा पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अपीलाण्ट द्वारा यह अपील खसरा संख्या 397

में से रकबा 05 बीघा भूमि आवंटन के नामान्तरकरण को तहसीलदार द्वारा आवंटन आदेश में कांट छांट होने के कारण जो खारिज कर दिया गया है वह बिना सुनवाई के खारिज किया गया है। भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा है। अतः उक्त जैर नामान्तरकरण को अपास्त कर आवंटित भूमि का राजस्व रेकर्ड में अर्थात् दूरस्त करने का नामान्तरकरण स्वीकृत किया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण संख्या 315 को नामान्तरकरण में क़ांट छांट होने के कारण खारिज करने का आदेश पारित किया गया है। हमारे द्वारा भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आदेश सन् 1976 का अवलोकन किया तो यह पाया कि भूमि आवंटन कमेटी द्वारा तत् समय प्रचलित नियमों के तहत 10 वर्ष के लिए ही भूमि का आवंटन किया गया है जो स्वतः वर्ष 1986 में अवसायित हो जाता है अर्थात् उक्त भूमि आवंटन कमेटी के आदेश की कोई प्रासंगिकता ही नहीं रहती है।

अतएव तत्कालिक आवंटन से संबंधित खारिजशुदा नामान्तरकरण को पुनर्विवादित किया जाने का कोई आधार ही उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में अपील–अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **29.07.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली